संख्या : 1662 /सत्रह–म–2013–6–9(180)/2013

प्रेषक,

क्षेत्रपाल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0,लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 22 अगस्त,2013

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य उत्पादन में वृद्वि हेतु गुणवत्ता युक्त मत्स्य अंगुलिका एवं पूरक आहार आपूर्ति परियोजना के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 336/नियो0शा0/आर0के0वी0वाई/दिनांक 28 जून, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित गुणवत्ता पूर्ण निरन्तर मत्स्य बीज एवं फीड की व्यवस्था के द्वारा मत्स्य उत्पादन में वृद्वि योजना के कियान्वयन की निम्नलिखित दिशा–निर्देशों (गाइड लाइन) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

परियोजना का संक्षिप्त विवरण :–

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थित तालाब में मत्स्य पालन परम्परागत तरीके से हो रहा है तथा मत्स्य पालकों द्वारा उन तालाबों में औसतन 25–30 कुं0/हे0 का मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है, जो कि काफी कम है। इन तालाबों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु महत्वपूर्ण निवेशों यथा मत्स्य बीज एवं पूरक आहार मुख्य कारक हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए सामान्य मत्स्य पालकों को अर्ध सघन/सघन मत्स्य पालन की ओर आकर्षित करते हुए इसके माध्यम से मत्स्य उत्पादकता में 40–45 कुं0/हे0 उत्पादन की वृद्वि के साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उदेश्य के साथ–साथ मत्स्य उपभोक्ताओं को ताजी मछलियों की स्थानीय सुलभता सुनिश्चित करने हेतु इस परियोजना का निर्माण किया गया है। परियोजना अवधि में 15400 मत्स्य पालकों के 7700 हेक्टे0 तालाबों से लगभग 11550 टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन की वृद्वि लायी जा सकेगी।

परियोजना का कार्यक्षेत्र :–

उक्त परियोजना अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित किया जायेगा। उक्त परियोजना 4 वर्षो (2013–14 से 2016–17 तक) में कार्यान्वित की जायेगी तथा प्रति वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड से 02 मत्स्य पालकों को परियोजना से अर्थात परियोजना अवधि में प्रत्येक विकास खण्ड से कुल 08 मत्स्य पालकों को लाभान्वित किया जायेगा।

लाभार्थी चयन का मापदण्ड :–

लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा किया जायेगा –

1–	मुख्य विकास अधिकारी	–	**अध्यक्ष**
2–	मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	–	सदस्य
3–	सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी	–	सदस्य सचिव

ऐसे मत्स्य पालक जो 0.5 हे0 व उससे अधिक जलक्षेत्र में विगत 3 वर्षो से मत्स्य पालन कार्य कर रहे हैं और जिनके तालाब में वर्ष पर्यन्त समुचित जल उपलब्धता हो एवं वर्तमान मत्स्य उत्पादकता का स्तर 2.50 टन/हे0/वर्ष तक हो, के चयन हेतु पात्र होंगे।

निजी क्षेत्र के मत्स्य पालकों को वरीयता दी जायेगी। संबंधित विकास खण्ड में निजी मत्स्य पालक के उपर्युक्त मानक के अनुरूप अनुपलब्धता की दशा में पट्टे पर आवंटित तालाब के ऐसे लाभार्थियों का भी चयन किया जा सकता है, जिनकी पट्टा अवधि न्यूनतम 05 वर्ष शेष हो। ऐसे लाभार्थी, जो विगत 04 वर्षों में यू0पी0डास्प अथवा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एकीकृत मत्स्य पालन) अन्तर्गत लाभान्वित नहीं किये गये हों, चयन हेतु अर्ह होंगें। लाभार्थियों के पारदर्शी चयन हेतु समुचित प्रचार–प्रसार एवं समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें एवं चयनित लाभार्थियों की सूची मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विकास खण्ड में पात्र लाभार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित तहसील के अन्य विकास खण्ड से पात्र लाभार्थी का चयन अनुमन्य होगा। लाभार्थी चयन में जनपद स्तर पर उपयुक्तता के आधार पर यथा संभव सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

भौतिक संपूर्ति का माप दण्ड

अ–मत्स्य अंगुलिका–

भारतीय मेजर कार्प एवं ग्रास, सिल्वर एवं कामन कार्प प्रजाति के न्यूनतम 70 मि0मी0 आकार की मत्स्य अंगुलिकाओं का 10,000/हे0/वर्ष की दर से संचय किया जायेगा।

ब– मत्स्य पूरक आहार–

25 कुन्तल /हे0/वर्ष के आधार पर मत्स्य पूरक आहार (मैस्ड रूप में) का उपयोग किया जायेगा।

मत्स्य बीज एवं पूरक आहार की आपूर्ति हेतु मत्स्य निदेशालय स्तर पर गठित उपार्जन समिति द्वारा नियमानुसार निविदा आमंत्रित करते हुए मूल्य निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी एवं तद्नुसार संबंधित जनपदों द्वारा संबंधित फर्मों को आपूर्ति आदेश निर्गत करते हुए आपूर्तित मत्स्य बीज एवं पूरक आहार के मूल्य का भुगतान किया जायेगा। आपूर्तित सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा का औचक सत्यापन नियमानुसार मुख्यालय एवं क्षेत्रीय उप निदेशक के माध्यम से किया जायेगा। लाइव स्टाक के रूप में मत्स्य बीज की जीवित अवस्था में स्थानीय स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व निर्मित मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्रों (हैचरियों/मत्स्य बीज संवर्द्धन इकाईयों) को वरीयता दी जायेगी।

वित्त पोषण

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अनुमोदित इस परियोजना में 10,000/हे0/वर्ष की दर से मत्स्य बीज की यातायात व्यय सहित अधिकतम रू0–13000.00(तेरह हजार) अनुमन्य होगा जिसमें 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

मत्स्य पूरक आहार आपूर्ति हेतु 25 कुन्तल/हे0/वर्ष की दर से अधिकतम निर्धारित मूल्य धनराशि रू0–2,500/कुन्तल यातायात व्यय सहित अनुमन्य होगा जिसमें परियोजना के माध्यम से 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

उदाहरणार्थः– 0.5 हे0 के तालाब हेतु परियोजना अन्तर्गत वित्त पोषण की स्थिति निम्नवत होगीः–

मद	संख्या/ मात्रा	लागत धनराशि (रू0में)		
		परियोजना अंश(अनुदान)	लाभार्थी अंश	कुल धनराशि
मत्स्य अंगुलिका संचय@ 10,000/हे0	5000	4875	1625	6500
मत्स्य पूरक आहार @ 25 कुं0/हे0	12.50कु0	24437	7813	31250
योग		28312	9438	37750

सामग्री संपूर्ति अवधि–

मत्स्य अंगुलिकाओं एवं मत्स्य पूरक आहार की आपूर्ति प्रत्येक मत्स्य सत्र के विलम्बतम माह अक्टूबर तक सुनिश्चित की जायेगी।

परियोजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण–

परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय अनुश्रवण सामग्री आपूर्ति, संवर्द्धन एवं मत्स्याखेट के समय पर जनपद एवं मण्डल स्तर पर किया जायेगा, जिसका औचक सत्यापन समय–समय पर मुख्यालय स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। परियोजना अवधि में महत्वपूर्ण घटना क्रमों का साक्ष्य फोटो/विडियो ग्राफी के माध्यम से जनपद स्तर पर अभिलेखार्थ सुरक्षित किया जायेगा।

परियोजना के सम्भावित आउटकम्स–

- अर्द्ध सघन/सघन मत्स्यपालन के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में 40 कुं0/हे0 का सम्भावित उत्पादन वृद्धि।
- रोजगार सृजन।
- मत्स्य सेक्टर का विविधीकरण।

भवदीय,

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

संख्या :1662 (1)/ सत्रह–म–6–9(180)/2013तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,कार्यालय (लेखा परीक्षा) प्रथम,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/सहायक निदेशक मत्स्य/अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0।
6. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनु0–2 वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1/नियोजन–3/कृषि अनुभाग–3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव